

भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1491
दिनांक 28/07/2026 को उत्तरार्थ

ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ

+1491. श्री कृपानाच मल्लाह:

श्री नारायण तातू राणे:

श्री राजपालसिंह महेन्द्रसिंह जादव:

श्री मुरसोली एस:

श्री अशोक कुमार रावत:

डॉ. सी. एम. रमेश:

श्री हरिभाई पटेल:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) ग्राम पंचायतों में ई-ग्रामस्वराज और ऑडिटऑनलाइन के कार्यान्वयन की स्थिति और राज्य-बार ब्यौरा क्या है;
- (ख) ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने की स्थिति तथा नियोजन और वित्तीय प्रबंधन के लिए अन्य डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के साथ ई-ग्रामस्वराज के एकीकरण की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ग) क्या इन मंत्रों के अंतर्गत निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत तंजावुर जिले की पंचायतों सहित पंचायत जिलों को संवितरित और लंबित निधियों का राज्य-बार ब्यौरा क्या है;
- (ङ) डेटा प्रविष्टि अनुपालन स्तरों सहित तंजावुर जिले की पंचायतों के लिए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के कार्यान्वयन की ऐसी पंचायतों सहित राज्य-बार स्थिति और ब्यौरा क्या है;
- (च) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश सहित विशेषकर अनकापल्ले लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में ई-ग्रामस्वराज और ऑडिटऑनलाइन मंचों के कार्यान्वयन की राज्य-बार समीक्षा की है;

(छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान ई-ग्रामस्वराज के माध्यम से अपनी ग्राम पंचायत विकास योजनाएं तैयार और अपलोड करने वाली ग्राम पंचायतों की आंध्र प्रदेश, विशेषकर अनकापल्ले लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्य-वार संख्या कितनी है:

(ज) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश में पंचायत वित्त की वास्तविक समय पर निगरानी और विकास कार्यों के निष्पादन के लिए ई-ग्रामस्वराज को अन्य डिजिटल शासन मंचों के साथ एकीकृत करने का प्रस्ताव है; और

(झ) यदि हां, तो वित्तीय सहायता, क्षमता निर्माण पहलों और समय-सीमा सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क), (ख), (ड), (च) और (छ) पंचायती राज मंत्रालय देश भर में पंचायती राज संस्थाओं में डिजिटल शासन को मजबूत बनाने के लिए ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) को लागू कर रहा है। इस परियोजना के तहत, पंचायत गतिविधियों की डिजिटल योजना, बजटन, लेखांकन, लेखापरीक्षा, परिसंपत्ति प्रबंधन और निगरानी को सुविधाजनक बनाने के लिए ई-ग्रामस्वराज और ऑडिटऑनलाइन विकसित किए गए हैं। ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (जीपीडीपी) एक सहभागी योजना प्रक्रिया के माध्यम से तैयार की जाती हैं और ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर अपलोड की जाती हैं। मंत्रालय समय-समय पर समीक्षा, डेटा विश्लेषण और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की जाने वाली तकनीकी सहायता के माध्यम से इन ऐप्स के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा करता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान ई-ग्रामस्वराज और ऑडिट ऑनलाइन के कार्यान्वयन जीपीडीपी की तैयारी की स्थिति, तंजावुर जिले में कार्यान्वयन और अनाकापल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की स्थिति का राज्यवार विवरण **अनुलग्नक-1** में दिया गया है।

(ग) संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष 2025-26 के दौरान ई-ग्रामस्वराज और अन्य डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर प्रशिक्षण पाने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत पदाधिकारियों का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान तमिलनाडु राज्य सहित संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत जारी की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -वार विवरण अनुलग्नक-III में दिया गया है। मंत्रालय द्वारा ज़िले-वार आवंटन के विवरण का अलग से रखरखाव नहीं किया जाता है।

(ज) और (झ) ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के तहत विकसित एक सरलीकृत, कार्य-आधारित ऐप है, जिसके माध्यम से ग्राम पंचायत गतिविधियों का नियोजन, लेखांकन, कार्यान्वयन, ऑनलाइन भुगतान, निगरानी और रिपोर्टिंग एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर की जाती है।

ई-ग्रामस्वराज को पहले ही कई सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया जा चुका है, जिसमें ऑनलाइन भुगतान और वित्तीय प्रबंधन के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस), खरीद के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम), बहुभाषी एआई-सक्षम सेवाओं के लिए भाषिणी और मौसम संबंधी जानकारी के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) शामिल हैं।

मंत्रालय निरंतर ई-पंचायत ऐप को बेहतर बना रहा है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इनके प्रभावी प्रयोग को सरल बनाने के लिए संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत तकनीकी सहायता और क्षमता-निर्माण का विस्तार करना है। इन कार्यक्रमों को आंध्र प्रदेश राज्य सहित पूरे देश में लागू किया गया है।

अनुलग्नक-1

ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1491 जिसका उत्तर दिनांक 28.07.2026 को दिया जाना है, के संबंध में संदर्भित अनुलग्नक।

i. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ई-ग्रामस्वराज को अपनाने की राज्यवार स्थिति

क्र.सं.	राज्य का नाम	ग्राम पंचायतों और उनके समकक्ष निकायों की कुल संख्या	ई-ग्रामस्वराज – पीएफएमएस इंटरफ़ेस पर शामिल ग्राम पंचायत	ऑनलाइन भुगतान करने वाली ग्राम पंचायतें और उनके समकक्ष निकाय	योजना वर्ष 2025-26 के दौरान ईग्रामस्वराज पर अपलोड की गई जीपीडीपी की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	13327	13320	13041	13320
2	अरुणाचल प्रदेश	2108	2108	1541	2089
3	असम	2663	2198	2118	2117
4	बिहार	8054	8054	8050	8053
5	छत्तीसगढ़	11692	11688	11390	11651
6	गोवा	191	191	119	191
7	गुजरात	14619	14591	13948	13805
8	हरियाणा	6227	6227	6051	6221
9	हिमाचल प्रदेश	3615	3615	3597	3611
10	झारखंड	4345	4345	4316	4343
11	कर्नाटक	5949	5949	5938	5940
12	केरल	941	941	939	941
13	मध्य प्रदेश	23011	23011	22352	22974
14	महाराष्ट्र	28002	27936	26773	27902
15	मणिपुर	3175	161	113	161
16	मेघालय	0	0	0	0
17	मिजोरम	855	855	817	816

18	नागालैंड	1312	984	0	0
19	ओडिशा	6794	6794	6788	6794
20	पंजाब	13236	13235	12551	13229
21	राजस्थान	13128	11185	10835	11174
22	सिक्किम	199	199	197	199
23	तमिलनाडु	12482	12482	12443	12392
24	तेलंगाना	12760	12759	12372	12751
25	त्रिपुरा	1194	1194	1192	1193
26	उत्तर प्रदेश	57695	57693	57674	57683
27	उत्तराखंड	7812	7810	7347	7777
28	पश्चिम बंगाल	3339	3339	3337	3337
कुल		258725	252864	245839	250664

ii. आंध्र प्रदेश और अनाकापल्ली में ई-ग्रामस्वराज के ज़रिए जीपीडीपी तैयार करने और अपलोड करने वाली ग्राम पंचायतों का विवरण (पिछले तीन साल)

क्र.सं.	राज्य/ब्लॉक पंचायत का नाम	ग्राम पंचायतों और उनके समकक्ष निकायों की कुल संख्या	योजना वर्ष 2025-26 के दौरान ईग्रामस्वराज पर अपलोड की गई जीपीडीपी की संख्या	योजना वर्ष 2024-25 के दौरान ईग्रामस्वराज पर अपलोड की गई जीपीडीपी की संख्या	योजना वर्ष 2023-24 के दौरान ईग्रामस्वराज पर अपलोड की गई जीपीडीपी की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	13327	13320	13310	13305
2	अनाकापल्ली, आंध्र प्रदेश	32	32	32	32
3	तंजावुर, तमिलनाडु	589	589	585	587

iii. लेखापरीक्षा अवधि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ऑडिट ऑनलाइन के ज़रिए तैयार की गई राज्यवार लेखापरीक्षा रिपोर्ट

क्र.सं.	राज्य का नाम	ग्राम पंचायतों और उनके समकक्ष निकायों की कुल संख्या	तैयार की गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट की कुल संख्या
1	आंध्र प्रदेश	13328	13175
2	अरुणाचल प्रदेश	2108	1823
3	असम	2770	2025
4	बिहार	8053	4734
5	छत्तीसगढ़	11713	11621
6	गोवा	191	88
7	गुजरात	14687	14585
8	हरियाणा	6230	6124
9	हिमाचल प्रदेश	3615	3486
10	झारखंड	4345	4039
11	कर्नाटक	5952	5949
12	केरल	941	828
13	मध्य प्रदेश	23011	20085
14	महाराष्ट्र	27953	26705
15	मणिपुर	3811	0
16	मेघालय	6854	0
17	मिजोरम	843	0
18	नागालैंड	1330	0
19	ओडिशा	6794	6784
20	पंजाब	13237	13221
21	राजस्थान	11230	11079
22	सिक्किम	199	199
23	तमिलनाडु	12525	12517

24	तेलंगाना	12994	12577
25	त्रिपुरा	1194	1193
26	उत्तर प्रदेश	57691	57639
27	उत्तराखंड	7787	0
28	पश्चिम बंगाल	3339	3180
	कुल	264725	233656

अनुलग्नक-II

ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1491 जिसका उत्तर दिनांक 28.07.2026 को दिया जाना है, के संबंध में संदर्भित अनुलग्नक।

वर्ष 2025-26 के दौरान ई-ग्रामस्वराज और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रशिक्षण पाने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत अधिकारियों का विवरण।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2025-26
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	-
2	आंध्र प्रदेश	13,812
3	अरुणाचल प्रदेश	299
4	असम	7,471
5	बिहार	31,956
6	छत्तीसगढ़	81
7	गोवा	-
8	गुजरात	-
9	हरियाणा	12,381
10	हिमाचल प्रदेश	817
11	जम्मू और कश्मीर	3,461
12	झारखंड	2,460
13	कर्नाटक	-
14	केरल	7,799
15	लद्दाख	281
16	मध्य प्रदेश	7,679
17	महाराष्ट्र	75
18	मणिपुर	26
19	मेघालय	-
20	मिजोरम	3,053
21	नागालैंड	-
22	ओडिशा	7,433

23	पुदुच्चेरी	-
24	पंजाब	86
25	राजस्थान	13,841
26	सिक्किम	135
27	तमिलनाडु	9,824
28	तेलंगाना	540
29	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	138
30	त्रिपुरा	-
31	उत्तर प्रदेश	52,380
32	उत्तराखंड	-
33	पश्चिम बंगाल	40,657
34	केंद्र	-
	कुल	2,16,685

अनुलग्नक-III

ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1491 जिसका उत्तर दिनांक 28.07.2026 को दिया जाना है, के संबंध में संदर्भित अनुलग्नक।

पिछले पांच वर्षों के दौरान संशोधित आरजीएसए के तहत जारी की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.79	2.12	1.00
2	आंध्र प्रदेश	38.54	0.00	0.00	2.52	35.00
3	अरुणाचल प्रदेश	30.07	108.69	72.09	70.00	57.00
4	असम	44.04	55.29	77.70	60.00	64.00
5	बिहार	63.77	33.37	25.00	0.00	26.00
6	छत्तीसगढ़	7.93	0.00	17.57	16.50	29.00
7	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	0.00	1.14	1.00	1.00	1.25
8	गोवा	0.59	0.00	0.89	1.35	1.00
9	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
10	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	5.00	17.91
11	हिमाचल प्रदेश	32.42	60.65	19.31	27.21	14.00
12	जम्मू एवं कश्मीर	40.00	40.00	65.00	65.00	57.00
13	झारखंड	7.74	0.00	31.00	0.00	15.20
14	कर्नाटक	29.15	36.00	20.00	16.25	11.03
15	केरल	12.00	30.40	10.00	10.00	18.00
16	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	लद्दाख	1.08	0.00	1.00	0.00	0.72
18	मध्य प्रदेश	47.11	28.00	32.17	40.00	49.95
19	महाराष्ट्र	73.34	37.84	116.12	80.00	54.49
20	मणिपुर	2.98	8.63	9.56	0.00	1.48
21	मेघालय	0.00	0.00	6.00	8.00	5.02

22	मिजोरम	5.56	14.27	10.00	12.00	16.50
23	नागालैंड	4.58	0.00	10.00	10.00	10.70
24	ओडिशा	1.33	11.40	27.33	20.00	62.24
25	पुदुच्चेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	पंजाब	10.78	34.25	10.00	5.00	30.30
27	राजस्थान	17.27	0.00	21.72	15.00	13.00
28	सिक्किम	1.19	6.01	6.00	7.00	3.21
29	तमिलनाडु	39.89	25.42	0.00	45.00	20.00
30	तेलंगाना	0.00	0.00	20.00	0.00	3.00
31	त्रिपुरा	4.67	9.80	7.43	10.00	29.99
32	उत्तर प्रदेश	83.08	85.05	84.13	38.77	28.05
33	उत्तराखंड	0.00	42.48	64.67	50.00	44.09
34	पश्चिम बंगाल	15.14	4.28	33.69	52.68	40.00
	कुल योग	614.25	672.97	800.17	670.40	768.13
	अन्य कार्यान्वयन एजेंसियां	3.75	10.01	14.69	23.77	23.63
	कुल योग	618.00	682.98	814.86	694.17	791.76

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जारी की गई धनराशि में 30 जून 2025 तक एसएनए और 1 जुलाई 2025 से एसएनए-स्पर्श (SNA-SPARSH) के माध्यम से मिलने वाली धनराशि शामिल है।
